

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 48/2020

आवास फाईनेन्सरस् लि0 (पूर्व में एयू हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड),
पंजीकृत कार्यालय:- 201-202, सैकण्ड फ्लोर, साउथ एण्ड स्कवायर,
मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राज0-302020

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्रीमती रुचिका माथुर उर्फ रुचिका अग्रवाल पत्नि श्री अमित अग्रवाल
पता:- 100 तेजाजी चौक, अमिटी स्कूल के पास, कोटडा, अजमेर-305001
- (2) श्रीमती सुधा अग्रवाल पत्नि श्री घनश्यामदास अग्रवाल
पता:- 100 तेजाजी चौक, अमिटी स्कूल के पास, कोटडा, अजमेर-305001
- (3) श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री घनश्यामदास अग्रवाल
पता:- 100 तेजाजी चौक, अमिटी स्कूल के पास, कोटडा, अजमेर-305001
- (4) श्री अविनाश अग्रवाल पुत्र श्री घनश्यामदास अग्रवाल
पता:- जगतसर, रिंगस, जिला सीकर-332404

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- एस0के0 व्यास

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 28.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 28.02.2018 को रु. 65,00,000/- (अक्षरे पैंसठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर 1. प्लॉट नं0 1 व 2, जो खसरा नं0 1106, 1100 व 1107 ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर का भाग है, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, जो श्रीमती रुचिका माथुर उर्फ रुचिका अग्रवाल के नाम से है, 2. प्लॉट नं0 3 व 4 जो खसरा नं0 1106, 1100 व 1107 ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर का भाग है, क्षेत्रफल 200 वर्गगज है, जो अप्रार्थीया संख्या 2 सुधा अग्रवाल के नाम है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.11.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 18.11.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 60,46,036/- (अक्षरे साठ लाख छियालीस हजार छत्तीस रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु



Sharma

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति 1. प्लॉट नं0 1 व 2, जो खसरा नं0 1106, 1100 व 1107 ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर का भाग है, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, जो श्रीमती रुचिका माथुर उर्फ रुचिका अग्रवाल के नाम से है, 2. प्लॉट नं0 3 व 4 जो खसरा नं0 1106, 1100 व 1107 ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर का भाग है, क्षेत्रफल 200 वर्गगज है, जो अप्रार्थीया संख्या 2 सुधा अग्रवाल के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।



(Signature)

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर